न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुरराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 134/12 (2012/00006)प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मोहनदास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. प्रहलाददास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. हीरादास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगुनाथ पिता नंगजीनाथ निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. मोहननाथ पिता नंगजीनाथ निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. हीरा पिता बालु जाट निवासी दुल्लेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. अमरचंद पिता ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. नारायण पिता ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. हरिश टेलर – अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 10.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र बोरियापुरा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शिवनाथपुरा पटवार क्षेत्र बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 395 रकबा 1.62 हे0, भूमि स्थित है। कुल किता 01 कुल रकबा 1.62 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2070 तक की एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के मुश्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थीगण को घास काटने, फसल आदि काश्त करने, में कठीनाई का सामना करना पडता है तथा पक्षकारान के दरमियान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने बाबत कई बार विपक्षीगण को कहा लेकिन विपक्षीगण तैयार नही हुए। प्रार्थीगण ने दिनांक 11.10.2012 को अंतिम बार कहा तो इन्कार हो गये। जिसेस प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.10.2012 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं0 1 से 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 04 व 05 की और से अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित नक्शा दुरूस्ती सम्बन्धित वाद विचाराधीन चल रहा है जब तक नक्शा दुरूस्ती का आदेश नही हो जावे तब तक प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित नही है। अतः प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाता है।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
10/5/17